रा.पु.मु.ज./5–99/70,000

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं.

1. जिला.चौकी भ्र0 नि0 ब्यूरो, एस.यू. भरतपुर, ...थाना. प्र0आ0 केन्द्र,भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर... वर्ष ..2021.
   प्र. इ. रि. स. .....275/22..... दिनांक .....8/7/2022.....
2. (अ) अधिनियम भ्र0 नि0 (संशोधित) अधिनियम **वर्ष** 2018 . .धारायें.....7.....
   (ब) अधिनियम .....धारायें.....
   (स) अधिनियम .....धारायें.....
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या .....156.....समय.....6:30 P.M.....
   (ब) अपराध घटने का दिन–दि.–गुरूवार /07.07.2022/04.50 पी.एम.....
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक–17.05.2022 समय.–04.00 पी.एम. .....
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :– चौबुर्जा चौराहा शहर भरतपुर।
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी –पश्चिम , दूरी करीब 02 किमी.....
   (ब) पता – .....बीट सख्या .....जरायमदेहीसं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो ...पुलिस थाना.....जिला.....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम **श्री ज्ञानसिंह बैनीवाल**
   (ब) पिता /पति का नाम श्री कल्याण सिंह जाति जाट .....(स) जन्म तिथि /वर्ष 38 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता.....भारतीय .....
   (य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....जारी होने की जगह.....
   (र) व्यवसाय..... ।
   (ल) पता....जाट की सराय हिण्डौन सिटी जिला करौली।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
   1– श्री वीरेन्द्र कुमार शुक्ला पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला जाति ब्राहम्ण उम्र 42 साल निवासी एसआर हॉस्पीटल के पीछे जसवंत नगर भरतपुर पुलिस थाना अटलबंध जिला भरतपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर एवं अध्यक्ष मंत्रायलिक कर्मचारी संघ शिक्षा विभाग संभाग भरतपुर।
8. परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.....
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ....
   .....18,000/–रू0 रिश्वत राशि .....
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).....
    .....18,000/–रू0 रिश्वत राशि .....
11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0) (यदि कोई हो तो) .....नहीं.....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).....

दिनांकः– 17.05.2022 सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर। विषय– रिश्वत लेते हुए रगें हाथों पकडवाने बाबत्। महोदय, उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी ज्ञानसिंह बैनीवाल पुत्र श्री कल्याण सिंह जाति जाट निवासी जाट की सराय हिण्डौन सिटी जि. करौली वर्तमान में रा.उ.मा.वि. खरैटा तह. हिण्डौन जि. करौली में दिनांक 06.02.2019 से

अतः श्रीमान जी मुझसे ऑफिस के बाबूजी शुक्ला जी रिश्वत की मांग कर रहे हैं मै रिश्वत कार्य करवाने के लिये देना नहीं चाहता हूं अतः अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें। श्री वीरेन्द्र कुमार शुक्ला व.स. अभी मेरे से मेरे वैद्य कार्य को करने की एवज में रिश्वत में 18000 रूपये की मांग कर रहे है। मेरी इनसे कोई पुरानी रंजिश व लेन देन नहीं है एसडी ज्ञानसिंह बैनीवाल प्रार्थी ज्ञानसिंह बैनीवाल व.स. रा.उ.मा.वि. खरैटा तह. हिण्डौन नि. जाट की सराय हिण्डौन मो. 9636686327 एसडी मेहश मीणी अति. पुलिस अधीक्षक 17.05.2022 एसडी वरूण प्रताप सिंह 17.05.2022 एसडी अखिलेश शर्मा 17.05.2022

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 17.05.2022 को समय 04.00 पीएम पर परिवादी श्री ज्ञानसिंह बैनीवाल पुत्र श्री कल्याण सिंह जाति जाट उम्र 38 साल निवासी जाट की सराय हिण्डौन सिटी पुलिस थाना हिण्डौन सिटी जिला करौली हाल वरिष्ठ सहायक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खरैटा तहसील हिण्डौन जिला करौली ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित रिपोर्ट मय स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रति के श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के नाम संबोधित करते हुए मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मीणा के समक्ष पेश की इस पर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने बताया कि प्रार्थी ज्ञानसिंह बैनीवाल पुत्र श्री कल्याण सिंह जाति जाट निवासी जाट की सराय हिण्डौन सिटी जि. करौली वर्तमान में रा.उ.मा.वि. खरैटा तह. हिण्डौन जि. करौली में दिनांक 06.02.2019 से पदस्थापित हूं कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर द्वारा वरिष्ठ सहायक से कार्यालय सहायक की अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी की गई थी जिसमें आपत्ति दर्ज करवाने की अंतिम दिनांक 27.04.222 थी, जिसकी आपत्ति निश्चित समयावधि में प्रार्थी ने कार्या. जि. शि.अ.मा. शिक्षा करौली में दर्ज करवा दी तथा कार्या. संयुक्त नि. स्कूल शिक्षा भरतपुर में भी दर्ज करवाने दिनांक 12.05.2022 को एवं मेरे आपत्ति पर क्या कार्यवाही हुई यह जानने श्री वीरेन्द्र कुमार शुक्ला वरिष्ठ सहायक कार्या. संयुक्त नि.स.शि. भरतपुर से मिला उन्होने कहा कि आपका कार्य करने के लिए मुझे राशि 21000/– देने होगे तथा 3000/–रूपये मुझसे दिनांक 12.05.22 को ही ले लिये अतः श्रीमान जी मुझसे ऑफिस के बाबूजी शुक्ला जी रिश्वत की मांग कर रहे हैं मै रिश्वत कार्य करवाने के लिये देना नहीं चाहता हूं अतः अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें। श्री वीरेन्द्र कुमार शुक्ला व.स. अभी मेरे से मेरे वैद्य कार्य को करने की एवज में रिश्वत में 18000 रूपये की मांग कर रहे है। मेरी इनसे कोई पुरानी रंजिश व लेन देन नहीं है उक्त लिखित रिपोर्ट व मजीद दरियाप्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर समय 04.55 पीएम पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को जरिये रीतराम सिंह हैड कानि. से कार्यालय आलमारी से निकलवा कर उसे चालू व बन्द करने की विधि परिवादी ज्ञानसिंह बैनीवाल को समझाकर आरोपी से रिश्वत मांग के सम्बंध में होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री देवेन्द्र सिंह कानि. 221 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी के आरोपी के पास जाने से पूर्व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर उसे सुपुर्द करें तथा रिश्वत सम्बंधी वार्ता होने के उपरान्त परिवादी के वापिस आने पर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर उससे प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर आवे। वाईस रिकार्डर से कोई छेड़छाड़ नही करे। बाद हिदायत परिवादी एवं श्री देवेन्द्र सिह कानि. को आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर के लिये रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी वाईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 05.40 पीएम पर परिवादी श्री ज्ञानसिंह बैनीवाल व श्री देवेन्द्र सिंह कानि. उपस्थित कार्यालय आये। बाद रिश्वत मांग सत्यापन के सपर्दशदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री देवेन्द्र

पास रख लिया। इसके बाद मैने देवेन्द्र सिंह कानि. को सारी बात बताई। इसके बाद मै व श्री देवेन्द्र सिह वहां से रवाना होकर आपके पास कार्यालय में आ गए। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने प्राप्तशुदा वॉइस रिकॉर्डर में रिकार्ड वार्तालाप को सुना गया तो वॉइस रिकॉर्डर में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। अतः परिवादी के समक्ष उक्त वार्ता का रूपान्तरण पृथक से तैयार किया जावेगा। फर्द वापसी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 06.00 पीएम पर परिवादी ज्ञानसिह बैनीवाल व आरोपी वीरेन्द्र कुमार शुक्ला वरिष्ठ सहायक कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है को गवाहान व परिवादी के समक्ष डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तालाप को कम्प्यूटर में सेव किया गया एवं एक पेन ड्राईव तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से रूपान्तरण गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में तैयार किया गया। पेन ड्राईव की और दो पेन ड्राईव तैयार करवायी गई। मूल पेन ड्राईव एवं मुल्जिम पेन ड्राईव प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "A" अंकित करवाकर मूल पेन ड्राईव एवं मुल्जिम प्रति पेन ड्राईव को कपडे की थैली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मूल व मुल्जिम पेन ड्राईवों को सुरक्षित मालखाना रखने हेतु श्री रीतराम सिंह हैड कानि. को दुरूस्त हालत में सम्भलाया गया तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 07.30 पीएम पर परिवादी श्री ज्ञानसिंह बैनीवाल ने बताया कि आरोपी वीरेन्द्र कुमार शुक्ला अभी मेरे से रिश्वत राशि नहीं लेगा रिश्वत राशि लेने के लिये मुझे कॉल कर बुलायेगा इस पर परिवादी श्री ज्ञानसिह को हिदायत दी गई कि आरोपी जब भी आपके पास कॉल या कोई संदेश आये तो मन अति. पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल अवगत करवाये परिवादी को मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया। अतः अग्रिम कार्यवाही परिवादी से सूचना प्राप्त होने पर की जावेगी। इसके बाद दिनांक 07.07.2022 सयम 01.10 पीएम पर परिवादी श्री ज्ञानसिंह बैनीवाल पुत्र श्री कल्याण सिंह जाति जाट उम्र 38 साल निवासी जाट की सराय हिण्डौन सिटी पुलिस थाना हिण्डौन सिटी जिला करौली हाल वरिष्ठ सहायक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खरैटा तहसील हिण्डौन जिला करौली उपस्थित कार्यालय आया जिसने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि श्री वीरेन्द्र कुमार शुक्ला वरिष्ठ सहायक ने किसी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बुलाया है अब वह मेरे से रिश्वत राशि लेगा इस पर परिवादी से रिश्वत राशि के संबंध में पूछा तो परिवादी ने बताया कि मेरे पास रिश्वत राशि 18,000/—रूपये का इन्तजाम है। अतः परिवादी को समझाईस कर कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात समय 01.40 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से कार्यालय हाजा के श्री गोकुलेश कानि0 454 को उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के पदनाम से तहरीर जारी कर दो स्वतंत्र गवाह को लाने हेतु रवाना करने पर श्री गोकुलेश कानि0 समय 02.30 पीएम पर मय दो स्वतंत्र गवाह के उपस्थित कार्यालय आया। जाहिर किया कि कार्यालय से रवाना होकर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर कार्यालय पहुंचा जहां गोपनीय कार्यवाही हेतु गवाह श्री वरूण प्रताप सिह पुत्र श्री सरमन सिह जाति जाट उम्र 24 साल निवासी मकान नं0 26 न्यू पुष्प वाटिका कॉलोनी भरतपुर पुलिस थाना मथुरा गेट जिला भरतपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर एवं श्री अखिलेश शर्मा पुत्र श्री पुरूषोत्तम लाल शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 46 निवासी सेढ के मढ के पास मौहल्ला गोपालगढ भरतपुर पुलिस थाना मथुरा गेट जिला भरतपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जिला भरतपुर होना बताया। गवाहान को परिवादी द्वारा करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही के सम्बंध में

रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से 36 नोट पांच–पांच सौ रूपये के कुल 18,000/– रूपये निकालकर पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र.सं.	नोट का प्रकार	नोटों के नम्बर
1	एक नोट पांच सौ रूपये का	2 AU 906440
2	एक नोट पांच सौ रूपये का	2 MM 399399
3	एक नोट पांच सौ रूपये का	3 AR 915608
4	एक नोट पांच सौ रूपये का	5 NK 400537
5	एक नोट पांच सौ रूपये का	2 GB 187906
6	एक नोट पांच सौ रूपये का	4 EK 499586
7	एक नोट पांच सौ रूपये का	8 NC 969007
8	एक नोट पांच सौ रूपये का	2 AW 917920
9	एक नोट पांच सौ रूपये का	4 DP 759235
10	एक नोट पांच सौ रूपये का	5 RG 446131
11	एक नोट पांच सौ रूपये का	6 LW 230731
12	एक नोट पांच सौ रूपये का	9 QP 154045
13	एक नोट पांच सौ रूपये का	0 VV 178788
14	एक नोट पांच सौ रूपये का	2 AS 838269
15	एक नोट पांच सौ रूपये का	8 VV 238637
16	एक नोट पांच सौ रूपये का	9 VQ 865756
17	एक नोट पांच सौ रूपये का	8 GL 598140
18	एक नोट पांच सौ रूपये का	9 EC 925585
19	एक नोट पांच सौ रूपये का	0 DT 441304
20	एक नोट पांच सौ रूपये का	3 AH 043766
21	एक नोट पांच सौ रूपये का	0 HP 162620
22	एक नोट पांच सौ रूपये का	1 GL 406584
23	एक नोट पांच सौ रूपये का	4 RL 359597
24	एक नोट पांच सौ रूपये का	5 BR 222342
25	एक नोट पांच सौ रूपये का	0 RT 681152
26	एक नोट पांच सौ रूपये का	2 DV 535987
27	एक नोट पांच सौ रूपये का	0 FP 613305
28	एक नोट पांच सौ रूपये का	8 CQ 838678
29	एक नोट पांच सौ रूपये का	8 WM 669767
30	एक नोट पांच सौ रूपये का	4 PA 106993
31	एक नोट पांच सौ रूपये का	7 GG 220918
32	एक नोट पांच सौ रूपये का	4 FE 732161
33	एक नोट पांच सौ रूपये का	3 QU 949683
34	एक नोट पांच सौ रूपये का	1 FW 155631
35	एक नोट पांच सौ रूपये का	7 TK 722098
36	एक नोट पांच सौ रूपये का	7 TK 787869

उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल–बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्री उमाशंकर कानि0 82 से

उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर/मोबाईल से फोन कर रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद गवाह श्री वरूण प्रताप कनिष्ठ सहायक से एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री उमाशंकर कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिकिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन को कार्यालय के बाहर फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को बंद ढक्कन कराकर श्री उमाशंकर कानि0 से आलमारी में रखवाया गया। श्री उमाशंकर के दोनों हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। गिलास को कार्यालय में ही रखवाया गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर को वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। पाउडर लगाने वाले श्री उमाशंकर कानि0 को कार्यालय में रूकने की हिदायत दी गई। फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई । तत्पश्चात समय 03.50 पीएम पर परिवादी श्री ज्ञानसिह बैनीवाल व श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 221 को सरकारी मोटर साईकिल से आगे–आगे रवाना कर उनके पीछे–पीछे श्री रीतराम सिंह हैड कानि. नं. 45 व श्री गम्भीर सिंह कानि0 475 को श्री गम्भीर सिंह कानि0 की मोटर साईकिल से रवाना कर उनके पीछे पीछे श्री गोकुलेश कानि0 454 व श्री रितेश कुमार कानि0 64 को श्री गोकुलेश कानि0 की मोटर साईकिस से रवाना कर उनके पीछे पीछे श्री परसराम कानि0 203 व श्री दिलीप सिंह कानि0 610 को श्री परसराम कानि0 की मोटर साईकिल से रवाना कर उनके पीछे पीछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय श्री हरभान सिह कानि0 591 व श्री विनोद सिंह कानि0 114 मय लेपटॉप प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स के श्री हरभानसिंह कानि0 की निजी कार से वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर रवाना होकर समय 04.10 पीएम पर भरतपुर शहर स्थित किले में बिहारी जी के पास पहुंचा जहां वाहनों को साइड में खडा कर परिवादी को वाईस रिकॉर्डर चालू करने की हिदायत देकर आरोपी के पास संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा संभाग भरतपुर के कार्यालय की ओर रवाना कर पीछे पीछे जाब्ता रवाना कर मन अति. पुसिल अधीक्षक, दोनो स्वतन्त्र गवाहान व शेष ट्रेप पार्टी के सदस्य वाहनों के पास से रवाना होकर अपनी पहचान छुपाते हुए किशोरी महल व बिहारी जी के मन्दिर व फुलवारी पार्क के आस–पास अपनी उपस्थित छुपाते हुए खडे हो गये। परिवादी के रिश्वत स्वीकृति के मुर्कर्रर ईशारे का इंतजार है। तत्पश्चात समय 04.20 पीएम पर देवेन्द्र सिंह कानि0 ने मन अति. पुलिस

बुलेट मोटर साईकल से परिवादी श्री ज्ञान सिंह के पास से भागने लगा जिसको हमराही जाप्ता की मदद से रोकने का प्रयास किया तो वह व्यक्ति बुलेट मोटर साईकिल से भागते हुए चौबुंजा बाजार की तरफ भागने लगा जिसको चौबुर्जा चौराहा के पास हमराही जाप्ता की मदद से पकडा तो उक्त व्यक्ति काफी जोर जोर से चिल्लाने लगा व जेब में रखे कुछ रूपयों को हाथ में लेकर फेकने का प्रयास करने लगा इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार उक्त व्यक्ति का बांया हाथ श्री दिलीप सिंह कानि0 610 व दांया हाथ श्री गोकुलेश कानि0 454 ने कलाईयों के उपर से पकड लिये मौके पर उपस्थित परिवादी श्री ज्ञान सिंह से पूर्व में सुपुर्द शुदा वॉईस रिकॉडर्र को प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा परिवादी श्री ज्ञान सिंह ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि यही श्री वीरेन्द्र कुमार शुक्ला वरिष्ठ सहायक कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा संभाग भरतपुर है जिन्होने मेरे से अभी अभी बिहारी जी के मन्दिर के सामने 18000 रूपये रिश्वत के लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की जेब में रख लिये हैं और मोटर साईकिल लेकर वहां से भाग कर यहां तक आ गये हैं इस पर मन अति0 पुलिस ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए हाथ पकडी हुई अवस्था में खडे हुए व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम वीरेन्द्र कुमार शुक्ला पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला जाति ब्राहम्ण उम्र 42 साल निवासी एसआर हॉस्पीटल के पीछे जसवंत नगर भरतपुर पुलिस थाना अटलबंध जिला भरतपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर एवं अध्यक्ष मंत्रायलिक कर्मचारी संघ शिक्षा विभाग संभाग भरतपुर होना बताया। जिससे परिवादी से रिश्वत में ली गई राशि के संबंध में पूछा तो जोर जोर से चिल्लाने लगा। चूंकि मौके पर मुख्य बाजार पास में होने के कारण काफी भीड एकत्रित हो चुकी है आरोपी ने बाये हाथ में रिश्वत राशि पकडी हुई है रिश्वत की राशि को स्वतंत्र गवाह वरूण प्रताप सिंह से उसके हाथ से लिवाई जाकर गिनवाई गई तो भारतीय चलन मुद्रा के पांच–पांच सौ के 36 नोट कुल 18000 रूपये होना पाये गये। जिनका स्वतंत्र गवाह श्री वरूण प्रताप सिह कनिष्ठ सहायक के पास सुरक्षित रखवाये गये, मौके पर भीड अधिक होने के कारण कार्यवाही में व्यवधान पडने की आशंका को देखते हुए आरोपी को दोनों हाथ पकडी हुई अवस्था में हमराह लेकर एवं परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा जाप्ता को हमराह लेकर अग्रिम कार्यवाही हेतु सरकारी व प्राईवेट वाहनों से रवाना होकर कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर पहुंचा। जहां आरोपी को हाथ पकडी हुई अवस्था में लेकर संयुक्त निदेशक के कक्ष में पहुंचे जहां आरोपी वीरेन्द्र कुमार शुक्ला वरिष्ठ सहायक से परिवादी श्री ज्ञान सिंह से ली गई रिश्वत राशि 18000 रूपये के संबंध में पूछा तो आरोपी ने बताया कि मै कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदस्थापित हूं करीबन डेढ महिने पहले ज्ञानसिंह वरिष्ठ सहायक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खरैटा तहसील हिण्डौन जिला करौली मेरे पास आया था जिसने मुझे बताया कि मेरा नाम वरिष्ठ सहायक से कार्यालय सहायक की अस्थाई वरिष्ठता सूची में नाम नहीं आया है नाम जुडवाना है इसपर मैने कर्मचारियों का नेता होने के कारण ज्ञानसिह से कहा कि मैं तेरा काम करवा दुंगा। मैने ज्ञान सिंह से कोई रिश्वत की मांग नहीं की थी , ज्ञानसिह मुझे जबरदस्ती रूपये देना चाह रहा था मैने ज्ञान सिंह से कोई रूपये नहीं लिये थे इसके बाद आज दिनांक 07.07.2022 को ज्ञानसिंह का मेरे पास कॉल आया था जिसने मुझसे कहा कि मै आपसे मिलने आ रहा हूं कहां मिलो गे इसपर मैने ज्ञानसिंह से मिलने से मना कर दिया इसके बाद में कार्यालय का पंखा सही करवाने के लिये बाजार की तरफ जा रहा था तो रास्ते में मुझे ज्ञानसिंह मिल गया जिसने मुझसे बात करते हुए मुडी हुई अवस्था में कुछ पांच पांच सौ के नोट मेरी पहनी हुई पेन्ट की बांयी तरफ की जेब में रख दिये थे। इसके बाद में बाजार की तरफ चला गया था जहां चौबुर्जा चौराहे के पास आपकी टीम आ

आज दिनांक 07.07.2022 को इन्होने मेरे से बिहारी जी के मन्दिर के सामने रिश्वत राशि 18000 रूपये प्राप्त कर अपने दोनों हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब में रख लिये थे व रूपये लेकर बुलेट मोटर साईकिल से भाग गये थे। इस पर अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप बॉक्स में से एक स्टील के कटोरे को निकलवाकर संयुक्त निदेशक कक्ष में लगे पानी के नल पर स्टील के कटोरे को शैम्पू पानी से अच्छी तरह साफ करवाकर साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर गवाह श्री अखिलेश शर्मा से हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर स्टील के कटोरे के घोल में श्री वीरेन्द्र कुमार शुक्ला वरिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क आर एच–1 व आर एच–2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। पुनः स्टील के कटोरे को शैम्पू व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में श्री वीरेन्द्र कुमार शुक्ला वरिष्ठ सहायक के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल एच–1 व एल एच–2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात पुनः स्टील के कटोरे को शैम्पू व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। उक्त घोल में आरोपी श्री वीरेन्द्र कुमार शुक्ला के पहने हुए पेन्ट को उतरवा कर पहनने के लिये बाजार से लॉवर मंगवाया जाकर दिया गया एवं पेन्ट की बांयी तरफ की साईड की जेब को उलटवाकर घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क पी पी–1 व पी पी–2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तथा पेन्ट का रंग काला होने के कारण पेन्ट के जेब पर धागे से सफेद कपडा सिलवाकर कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर थैली पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर मार्क पीपी अंकित किया जाकर बतौर बजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तत्पश्चात गवाह श्री वरूण प्रताप सिंह के पास सुरक्षित रखी हुई रिश्वत राशि के पांच पांच सौ रूपये के 36 नोट कुल 18000 रूपये को गवाहान से पूर्व में कार्यालय में बनाई गई फर्द पेशकशी से उक्त नोटो का मिलान करवाया गया तो नम्बर हुबहु पाये गये नोटों को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया परिवादी से प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक से रूपान्तरण कार्यालय में कम्प्यूटर की सहायता से हैड फोन से सुना जाकर तैयार करवाया जावेगा। आरोपी वीरेन्द्र कुमार शुक्ला से परिवादी से संबंधित पत्रावली पेश करने हेतु कहा तो उन्होने उक्त कक्ष के पास में स्थित अपने कार्य करने के कक्ष में लगी हुई टेबल की दराज में होना बतायी जिसको जरिये फर्द पृथक से जप्त किया जावेगा। आरोपी वीरेन्द्र कुमार शुक्ला वरिष्ठ सहायक का उक्त कृत्य धारा 7, पीसी (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है। अतः उक्त आरोपी को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पत्रावली पेज संख्या 01 लगायत 31 है जिसके प्रथम पृष्ठ पर परिवादी श्री ज्ञानसिंह द्वारा संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर के नाम संबोधित करते हुए दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक चयनित वरिष्ठ सहायकों की अस्थाई वरिष्ठता सूची में आपत्ति दर्ज कराने बाबत प्रार्थना पत्र लगा हुआ है पत्रावली में प्रार्थना पत्र के संलग्न छायाप्रति दस्तावेज लगे हुए है जो पेज संख्या 02 से 31 तक है उक्त पत्रावली की कार्यवाही हाजा में बतौर बजह सबूत आवश्यकता होने पर पत्रावली के प्रथम व अंतिम पृष्ठ पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कर जप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया। फर्द जप्ती बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 08.10 पीएम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री वीरेन्द्र कुमार शुक्ला पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला जाति ब्राहम्ण उम्र 42 साल निवासी एसआर हॉस्पीटल के पीछे जसवंत नगर भरतपुर पुलिस थाना अटलबंध जिला भरतपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर एवं अध्यक्ष मंत्रायलिक कर्मचारी संघ शिक्षा विभाग संभाग भरतपुर को परिवादी श्री ज्ञानसिंह से परिवादी की वरिष्ठ सहायक से कार्यालय सहायक की अस्थाई वरिष्ठता सूची में नाम सही कम पर जुडवाने की एवज में 21000 रूपये रिश्वत की मांग करना व दिनांक 12.05.2022 को 3000 रूपये प्राप्त करना व दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 17.05.2022 को 3000 रूपये प्राप्त करने की स्वीकार करना व 18000 रूपये और रिश्वत की मांग करना। उक्त मांग के अनुसंरण में आज दिनांक 07.07.2022 को परिवादी से बिहारी जी के मंदिर के पास रिश्वत राशि 18000 रूपये प्राप्त करना व शक होने पर रिश्वत राशि लेकर अपनी मोटर साईकिल से भागना व आरोपी का पीछा कर चौबुर्जा चौराहा भरतपुर के पास रिश्वत राशि 18000 रूपये सहित पकडे जाने का उक्त कृत्य धारा 7 पीसी (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 का पाये जाने पर उक्त को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा गिरफ्तार किया गया । फर्द गिरफ्तारी बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 08.40 पीएम पर घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका परिवादी की निशादेही पर स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में रोड लाईटों की रोशनी में पृथक से तैयार किया गया। फर्द नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 08.50 पीएम पर श्री रीतराम हैड कानि0 , परसराम कानि0 देवेन्द्र सिंह कानि0 मय गिरफ्तार शुदा आरोपी वीरेन्द्र कुमार शुक्ला मय सरकारी टवेरा गाडी मय चालक मनोज कुमार के आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण व बन्द हवालात करने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना मथुरा गेट व मेडिकल ज्यूरिष्ट / चिकित्सा अधिकारी आरबीएम हॉस्पीटल के नाम अलग अलग तहरीर जारी कर बाद हिदायत रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 09.10 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरीयान गवाहान, परिवादी, व शेष ट्रेप पार्टी के सदस्यों मय लेपटाप, प्रिन्टर , ट्रेप बॉक्स मय जप्त शुदा सील्ड रिश्वती राशि 18000 रूपये मय धोवन की 06 सील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट मुताबिक फर्दात के जरिये राजकीय एवं प्राईवेट वाहनों एसीबी कार्यालय भरतपुर रवाना होकर समय 09.30 पीएम पर एसीबी कार्यालय भरतपुर पहुचा। जप्तशुदा एवं शील्डशुदा रिश्वती राशि 18,000/—रूपये, धोवन की 06 सील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट मुताबिक फर्दात को श्री रीतराम सिंह हैड कानि. नं. 45 के कार्यालय आने पर सुपुर्द कर जमा मालखाना करवायी जावेगीं तत्पश्चात समय 09.45 पीएम पर श्री रीतराम सिंह हैड कानि. मय हमराहियान के रवानाशुदा गिरफ्तारशुदा आरोपी वीरेन्द्र कुमार शुक्ला का बाद कराकर स्वास्थ्य परीक्षण व मथुरा गेट थाना में बन्द हवालात कराकर हाजिर चौकी आये। श्री रीतराम हैड कानि0 को दौराने कार्यवाही जप्त शुदा सील्ड रिश्वती राशि 18000 रूपये मय धोवन की 06 सील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट मुताबिक फर्दात दुरूस्त हालात में समलाई जाकर जमा मालखाना करवायी गई। तत्पश्चात समय 10.00 पीएम पर परिवादी ज्ञानसिह

करवाकर मूल व मुल्जिम पेन ड्राईव को सुरक्षित मालखाना रखने हेतु श्री रीतराम सिंह हैड कानि. नं. 45 को दुरूस्त हालत में सम्भलाया गया तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 11.30 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील जिसपर एसीबी एसयू बीपीआर लिखा हुआ है, को परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। फर्द की एक प्रति गवाह श्री अखिलेश शर्मा वरिष्ठ सहायक को दी गई। बाद सम्पन्न कार्यवाही परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूख्सत किया गया।

अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया है कि आरोपी वीरेन्द्र कुमार शुक्ला वरिष्ठ सहायक कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर द्वारा परिवादी श्री ज्ञानसिंह बैनीवाल वरिष्ठ सहायक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खरैटा तहसील हिण्डौन जिला करौली से परिवादी की वरिष्ठ सहायक से कार्यालय सहायक की अस्थाई वरिष्ठता सूची में नाम सही क्रम पर जुडवाने की एवज में 21000 रूपये रिश्वत की मांग करना व दिनांक 12.05.2022 को 3000 रूपये प्राप्त करना व दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 17.05.2022 को 3000 रूपये प्राप्त करने की स्वीकार करना व 18000 रूपये और रिश्वत की मांग करना। उक्त मांग के अनुसंरण में दिनांक 07.07.2022 को परिवादी से बिहारी जी के मंदिर के पास रिश्वत राशि 18000 रूपये प्राप्त करना व शक होने पर रिश्वत राशि लेकर अपनी मोटर साईकिल से भागना व आरोपी का पीछा कर चौबुर्जा चौराहा भरतपुर के पास रिश्वत राशि 18000 रूपये सहित पकडे जाने व रिश्वत राशि बरामद होने का उक्त कृत्य जुर्म जैर दफा 7, पीसी (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार शुक्ला पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला जाति ब्राहम्ण उम्र 42 साल निवासी एसआर हॉस्पीटल के पीछे जसवंत नगर भरतपुर पुलिस थाना अटलबंध जिला भरतपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर एवं अध्यक्ष मंत्रायलिक कर्मचारी संघ शिक्षा विभाग संभाग भरतपुर। के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर प्रेषित की जावेगी।

(महेश मीणा)
अति. पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
एसयू भरतपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेश मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एस.यू.), भरतपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री वीरेन्द्र कुमार शुक्ला, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर एवं अध्यक्ष, मंत्रालयिक कर्मचारी संघ, शिक्षा विभाग, संभाग भरतपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 275/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

8.7.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 2411-15 दिनांक 8.7.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, सम्भाग, भरतपुर।
4. उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. भरतपुर।

8.7.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।